कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन लाल कोठी, टोंक रोड जयपुर)

क्रमांक :- एफ-22 ( ) उपा प.पशु.ग्रे/सा.प्र./ननिज/2021/ 113 दिनांकः- 22/3/21

आदेश

मीट/मांस विक्रेताओं को अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के अनुसरण में एवं धारा 340 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में दिए गए प्रयोजनों के अन्तर्गत मीट/मांस की दुकान हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु निम्नांनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. मीट/मांस आवेदनकर्ता द्वारा लाईसेंस फार्म अटल सेवा केन्द्र से प्राप्त कर, स्वंय द्वारा आवेदन पत्र/फार्म (प्रारूप संलग्नक 01 पर) भरकर, फार्म के साथ निम्न दस्तावेज के साथ शाखा में/अटल सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत करेगें :-
   (अ) आवेदक के 02 फोटो (एक फोटो आवेदन पत्र व दूसरा फोटो अनुज्ञा-पत्र पर लगानें के लिए)
   (ब) आवेदक की आईडी जिसमें उसका स्थायी पता अंकित हो (आधार कार्ड व अन्य) की फोटोप्रति।
   (स) दुकान के बिजली/पानी के बिल (6 माह से पुराना ना हो) की फोटोप्रति।
   (द) दुकान स्वंय की है तो दुकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज/रजिस्ट्री या स्वंय की दुकान ना होनें पर दुकान के रजिस्ट्रर्ड/नोटरी प्रमाणित किरायानामे की फोटोप्रति।
   (य) दुकान की 2 कलर फोटो (अंदर व बाहर) की व 2 फोटो दुकान के सामनें से आस-पास के क्षेत्र सहित।
   (र) निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र (अण्डरटैकिंग) (संलग्नक-02)
   (ल) नगरीय विकास कर/लीज जमा होनें संबंधित दस्तावेज (यदि देय हो तो)
2. मीट/मांस के लाईसेंस हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की लिपिक द्वारा जांच की जावेगी। जांच करने के उपरान्त रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदन प्राप्ति रसीद आवेदनकर्ता को अविलम्ब उपलब्ध करवायी जावेगी। अटल सेवा केन्द्र पर प्राप्त आवेदनों को भी दस्तावेजों की जांच के उपरान्त प्राप्ति रसीद आवेदनकर्ता को दी जायेगी।
3. लिपिक उक्त पत्रावली मय चैक लिस्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं पशु चिकित्सा अधिकारी, उपायुक्त पशु प्रबंधन को प्रस्तुत करेगा।
4. तद्उपरान्त उपायुक्त पशु प्रबंधन संबंधित मीट प्रभारी/निरीक्षक को प्रस्तावित दुकान के मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित करेगें। मीट प्रभारी/निरीक्षक 3 दिवस में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें। साथ ही यह भी रिपोर्ट करेगें कि प्रस्तावित दुकान की 50 मीटर परिधि में कोई सार्वजनिक मंदिर अथवा विद्यालय नही है।
5. उपायुक्त पशु प्रबंधन द्वारा निरीक्षक/प्रभारी की मौका रिपोर्ट सही पाये जाने पर निगम कोष में नियमानुसार राशि/लाईसेंस फीस जमा करवानें हेतु केशियर हैल्प लाईन को निर्देशित किया जावेगा।
6. लाईसेंस फीस जमा करानें की रसीद आवेदनकर्ता की पत्रावली में संलग्न की जावेगी।
7. फीस जमा होनें के पश्चात् निरीक्षक/प्रभारी ओसवाल डाटा से निर्धारित प्रारूप में मीट/मांस लाईसेंस अनापत्ति धारक का फोटो सहित प्रिन्ट आउट प्राप्त कर उपायुक्त पशु प्रबंधन को फाईल पर प्रस्तुत करेगा।

8. सक्षम अधिकारी (उपायुक्त पशु प्रबंधन) द्वारा अनुज्ञा–पत्र (लाईसेंस) हस्ताक्षरित कर अविलम्ब जारी कर दिया जावेगा।
9. लाईसेंस शुदा दुकानदार द्वारा लाईसेंस एवं स्वंय द्वारा भरे गये वचन पत्र (अण्डरटैकिंग) में अंकित शर्तों / नियमों का उल्लंघन करने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के तहत की उपधारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
10. यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना वैध लाईसेंस प्राप्त किए अथवा लाईसेंस निलम्बित / निरस्त किए जाने के पश्चात् भी दुकान का संचालन करता है तो दोष सिद्ध होनें पर नगर निगम द्वारा धारा 269 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जावेगी।
11. यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के अनुज्ञा–पत्र के बिना किसी बाजार में कोई वस्तु विक्रय करता है अथवा विक्रय के लिए प्रदर्शित करता है तो राज. नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 270 (2) के अन्तर्गत पृथक से कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
12. यदि नगर निगम द्वारा किसी दुकानदार के अनुज्ञा–पत्र को निलम्बित अथवा निरस्त किया जाता है तो नगर निगम के आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर धारा 269 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर को अपील कर सकेगा।

अतः मीट / मांस की दुकानों के अनुज्ञा–पत्र जारी करने एवं संचालन के संबंध मे बिन्दु सं. 01 से 12 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

22/3/2021

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ।

1. निजी सहायक, माननीय महापौर महोदया / उपमहापौर महो, ननिज ग्रेटर।
2. निजी सहायक, श्रीमान् आयुक्त / अतिरिक्त आयुक्त–मु. / ननिज ग्रेटर।
3. प्रोग्रामर, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त एस.ओ.पी. नगर निगम ग्रेटर जयपुर के बेवसाईट पर प्रदर्शित करे।
4. संबंधित कर्मचारी / प्रभारी / प्रभारी अधिकारी श्री.................................ननिज ग्रेटर।
5. सुरक्षित पत्रावली

22/3/2021

आयुक्त
नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

01C